…ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
	पत्रावली आज दिनांक 18.01.2022 को पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट निम्नानुसार पेश हुई है–	

1. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 567 वाके ग्राम भगवतगढ़ पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
2. यह है कि प्रार्थी की भूमि पर जांने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से रास्ते की बहुत आवश्यकता है। खातेदारी भूमि पर जाने के लिए खसरा नम्बर 554 व 546 की उत्तरी मेड के सहारे 3 मीटर चौड़ाई का रास्ता न्यूनतम दूरी पड़ता है।
3. यह है कि ग्राम भगवतगढ़ के ख.नं. 546 में 106X3=318 वर्ग मीटर व ख.नं. 554 में 172X3=516 वर्ग मीटर अर्थात 8.34 एयर की डी.एल.सी. दर 829534 रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से 69184 रूपये की दुगुनी राशि 138368 रूपये बनती है। उक्त भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर की प्रति संलग्न है। साथ ही उक्तानुसार रास्ता दिये जाने की अभिशंषा के साथ रिपोर्ट पेश है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा का अवलोकन व मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड उपरोक्त खसरा नंबर पर पहुंच का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। रास्ता या पहुँच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है, किसी भी भूमि पर पहुँच हेतु रास्ता होना आवश्यक होता है। एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत किसी भी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक पहुँच मार्ग दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 567 वाके ग्राम भगवतगढ, तहसील चौथ का बरवाड़ा पर आने–जाने हेतु खसरा नंबर 546 की उत्तरी मेड के सहारे 106 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा अर्थात 106X3=318 वर्ग मीटर व ख.नं. 554 की उत्तरी मेड के सहारे 172 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा अर्थात 172X3=516 वर्ग मीटर अर्थात कुल 834 वर्ग मीटर की डी.एल.सी. दर 829534 रूपये प्रति है0 के हिसाब से 69184 रूपये की दुगुनी राशि 138368 /–रूपये राशि अप्रार्थी खातेदारान सख्या 1 लगायत 2 को उनके हिस्से के अनुसार दिलवाई जाकर 546 की उत्तरी मेड के सहारे 106 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा अर्थात 106X3=318 वर्ग मीटर व ख.नं. 554 की उत्तरी मेड के सहारे 172 मीटर लम्बा एवं 3 मीटर चौड़ा अर्थात 172X3=516 वर्ग मीटर अर्थात

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस की तामीर मे जारी हुए
	कुल 334 वर्ग मीटर, भूमि को **नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0** रास्ता दर्ज करवाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 18/01/22 उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा	